



दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

परीक्षा समिति की आकस्मिक बैठक दिनांक 06/03/2017 का कार्यवृत्त

उपस्थिति:

1	प्रो० पृथ्वीश नाग	कुलपति	अध्यक्ष
2	प्रो० अशोक कुमार श्रीवास्तव	अधिष्ठाता, कला संकाय	सदस्य
3	प्रो० पी०सी० शुक्ल	अधिष्ठाता, वाणिज्य संकाय	सदस्य
4	प्रो० श्रीमती शैलजा सिंह	अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय	सदस्य
5	प्रो० एस०के० रंजन गुप्ता	अधिष्ठाता, विज्ञान संकाय	सदस्य
6	प्रो० सी०पी० श्रीवास्तव	आचार्य, दर्शनशास्त्र विभाग	सदस्य
7	प्रो० एस०के० दीक्षित	वरिष्ठ आचार्य	सदस्य
8	डॉ० अनुराग द्विवेदी	प्राध्यापक, समाज शास्त्र विभाग	सदस्य
9	डॉ० रिजवाना जंगल	प्राचार्य, इमामवाड़ा गर्ल्स पी०जी० कालेज, गोरखपुर	सदस्य
10	डॉ० अवधेश सिंह	अधिष्ठाता, कृषि संकाय	सदस्य
11	डॉ० रामप्रकाश यादव	वरिष्ठ शिक्षक, बुद्ध पी०जी० कालेज, कुशीनगर	सदस्य
12	डॉ० सुधाकर लाल श्रीवास्तव	अध्यक्ष, विश्वविद्यालय शिक्षक संघ	सदस्य
13	श्री अशोक कुमार अरविन्द	कुलसचिव	सदस्य
14	डॉ० अमरेंद्र कुमार सिंह	परीक्षा नियंत्रक	सचिव
15	प्रो० रजनीकान्त पाण्डेय	कुलपति, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर	विशेष आमंत्रित
16	प्रो० सुशील कुमार तिवारी	दर्शन शास्त्र विभाग	विशेष आमंत्रित

बैठक प्रारम्भ होने पर सर्वप्रथम समिति के सदस्यों ने नवागत कुलपति जी का स्वागत किया। इसी के साथ बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई।

- (क) विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों की वार्षिक परीक्षा वर्ष-2017 के प्रस्तावित परीक्षा कार्यक्रम पर विचार।
निर्णय: समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों की वार्षिक परीक्षा वर्ष-2017 दिनांक 28/03/2017 से शुरू करा दी जाय।
- (ख) (1) विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों (जनपद-गोरखपुर, देवरिया व कुशीनगर) के परीक्षा केन्द्रों के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय: समिति ने सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों (जनपद-गोरखपुर, देवरिया व कुशीनगर) के परीक्षा केन्द्रों के प्रस्ताव को स्वीकार स्वीकार करते हुए अनुमोदित किया तथा रेशमा देवी महाविद्यालय, अमवा, सोहनरिया, देवरिया का परीक्षा केन्द्र राजेश्वरी देवी रामसुभग सिंह महाविद्यालय, कुर्मी पट्टी पथरदेवा, देवरिया में किया गया।

(11) सिद्धार्थ विश्वविद्यालय परिक्षेत्र के चार जिले- बस्ती, महाराजगंज, संतकबीरनगर एवं सिद्धार्थनगर के स्नातक तृतीय वर्ष की परीक्षा हेतु सिद्धार्थ विश्वविद्यालय द्वारा बनाये गये परीक्षा केन्द्र/केन्द्राध्यक्षों को यथावत स्वीकार करते हुए, इसका अनुमोदन करने पर विचार।

निर्णय: समिति ने सर्वसम्मति से सिद्धार्थ विश्वविद्यालय परिक्षेत्र के चार जिले- बस्ती, महाराजगंज, संतकबीरनगर एवं सिद्धार्थनगर के स्नातक तृतीय वर्ष की परीक्षा हेतु सिद्धार्थ विश्वविद्यालय द्वारा बनाये गये परीक्षा केन्द्र/केन्द्राध्यक्षों को यथावत स्वीकार करके अनुमोदित किया।

(111) वर्ष-2017 की वार्षिक परीक्षा सम्पन्न कराने के लिए सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर परिक्षेत्र के चार जनपदों महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती एवं संतकबीरनगर के महाविद्यालयों के वी०काम० भाग एक एवं भाग दो तथा एम०काम० भाग एक एवं भाग दो के भूतपूर्व/नियमानुसार अर्ह परीक्षार्थियों की परीक्षा विश्वविद्यालय केन्द्र पर करा ली जाय किन्तु बी०ए०/बी०एस-सी०/बी०एस-सी० (कृषि)/बी०एस-सी० (गृह विज्ञान) भाग एक एवं दो तथा एम०ए० भाग एक एवं भाग दो के भूतपूर्व/नियमानुसार अर्ह परीक्षार्थियों की परीक्षा निम्नलिखित परीक्षा केन्द्रों पर करा ली जाय।



दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

क्र.सं	परीक्षा केन्द्र	जिनकी परीक्षा सम्पन्न होनी है
1.	दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर	सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय परिक्षेत्र के चार जनपदों महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, वस्ती एवं सन्तकबीरनगर के महाविद्यालयों के (बी०काम० भाग एक एवं भाग दो तथा एम०काम० भाग एक एवं भाग दो के भूतपूर्व हेतु अर्ह परीक्षार्थियों की परीक्षा)
2.	एच०आर० पी०जी० कालेज, खलीलाबाद, संतकबीरनगर	सन्तकबीरनगर जनपद में स्थित समस्त महाविद्यालय
3.	ए०पी०एन० पी०जी० कालेज, वस्ती	वस्ती जनपद में स्थित समस्त महाविद्यालय
4.	शिवपति महाविद्यालय शाहसगढ़ सिद्धार्थनगर	सिद्धार्थनगर जनपद में स्थित समस्त महाविद्यालय
5.	जावाहर लाल नेहरू स्मारक पी०जी० कालेज, महाराजगंज	महाराजगंज जनपद में स्थित समस्त महाविद्यालय
5	चौधरी चरण सिंह महाविद्यालय पदमापुर, पाण्डवनगर वस्ती	चौधरी चरण सिंह महाविद्यालय पदमापुर, पाण्डवनगर वस्ती

निर्णय: समिति ने सर्वसम्मति से उक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया।

(iv) दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर से सम्बद्ध गोरखपुर जनपद, कुशीनगर जनपद एवं देवरिया जनपद के महाविद्यालयों के केन्द्राध्यक्षों के अनुमोदन हेतु माननीय कुलपति जी को अधिकृत करने पर विचार।

निर्णय: समिति ने सर्वसम्मति से दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर से सम्बद्ध गोरखपुर जनपद, कुशीनगर जनपद एवं देवरिया जनपद के महाविद्यालयों के केन्द्राध्यक्षों के अनुमोदन हेतु माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विन्दुओं पर विचार

1. (क) माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित याचिका संख्या 7256/2016 सीमाब जाहिद बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21/12/2016 के क्रम में उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विश्वविद्यालय अधिवक्ता श्री बी०डी० पाण्डेय की विधिक राय के क्रम में परीक्षा परीणाम घोषित करने पर विचार।

निर्णय: समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि इस त्रुटि के लिए महाविद्यालय से रू० 10,000/- (दस हजार रुपये) अर्थदण्ड के रूप में विश्वविद्यालय में जमा कराकर याची सीमाब जाहिद अनुक्रमांक 1620112240039 एवं कु० ममता अनुक्रमांक 1620112240013, कु० पूजा पाण्डेय अनुक्रमांक 1620112240014 का बी०ए० भाग तीन वर्ष-2016 का परीक्षाफल घोषित कर दिया जाय तथा महाविद्यालय के प्राचार्य एवं बी०ए० भाग एक तथा बी०ए० भाग दो के सम्बन्धित सहायक पटल को इस आशय की कड़ी चेतावनी दी जाय कि भविष्य में इस तरह की त्रुटि की पुनरावृत्ति न हो तथा भविष्य में इस निर्णय को नजीर/आधार न माना जाय।

(ख) स्नातक कला संकाय वर्ष-2016 में सर्वोच्च अंक प्राप्त कर्ता शिवांगी पाण्डेय के प्रकरण में जांच समिति की आख्या के अनुरूप उनको स्वर्ण पदक देने की घोषणा निरस्त करने की संस्तुति को माननीय कुलपति जी ने अनुमोदित कर दिया था, से समिति को अवगत कराने पर विचार।

निर्णय: समिति ने सर्वसम्मति से स्नातक कला संकाय वर्ष-2016 में सर्वोच्च अंक प्राप्त कर्ता शिवांगी पाण्डेय के प्रकरण में जांच समिति की आख्या के अनुरूप उनको स्वर्ण पदक देने की घोषणा निरस्त करने की संस्तुति पर माननीय कुलपति जी के अनुमोदन से अवगत होते हुए इस पर अपनी सहमति प्रदान की।

(ग) वर्ष-2016 परीक्षा के विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं की सूची अनुमोदन हेतु प्रस्तुत।





दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

(घ) प्रो० एस०के० दीक्षित, मूल्यांकन समन्वयक (वर्ष-2017 सेमेस्टर परीक्षा) ने प्रो० रामवरन पटेल, आचार्य, भूगोल विभाग द्वारा समाचार पत्रों में उ०पु० मूल्यांकन के सम्बन्ध में शिकायत प्रकाशित कराने तथा अनेक शिकायती पत्र जो कुलपति जी एवं परीक्षा नियंत्रक को प्रेषित करने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार हेतु अनुरोध किया।

निर्णय: विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त समिति ने सर्वसम्मति से, प्रकरण की काउन्सिलिंग करके प्रकरण के निस्तारण हेतु वरिष्ठ आचार्य प्रो० अशोक कुमार, इतिहास विभाग को अधिकृत किया।

अन्त में अध्यक्ष को धन्यवाद के साथ समिति की कार्यवाही सम्पन्न हुई।


परीक्षा नियंत्रक


कुलपति